भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3028

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

एमएसएमई समाधान पोर्टल पर लंबित मामले

3028. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) समाधान पोर्टल पर देर से भुगतान के लंबित आवेदनों की कुल संख्या कितनी है तथा वर्ष 2026 की नवीनतम तिमाही तक कुल कितनी वित्तीय धनराशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत 45 दिनों में भुगतान के वैधानिक अधिदेश को स्वतः लागू करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के बीच पूर्ण एपीआई एकीकरण में विलंब के संरचनात्मक कारण क्या हैं;

(ग) छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) के समक्ष विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों, जनजातीय सहकारी समितियों और औद्योगिक गलियारों में स्थित सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित लंबित विवादों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) योजना के अंतर्गत ऑनलाइन विवाद समाधान (एमएसई-ओडीआर) तंत्र को लागू करने तथा चूक करने वाले खरीदार विभागों के लिए स्वतः शास्ति तंत्र शुरू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 30.10.2017 को एमएसएमई समाधान पोर्टल की शुरुआत की। दिनांक 30.07.2026 तक, 21,030 करोड़ रुपए की राशि के कुल 90,756 मामले सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) में न्यायनिर्णयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) : जेम को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) के साथ पहले से ही एकीकृत किया जा चुका है, जिसमें एमएसएमई को शीघ्र भुगतान के लिए चालान छूट की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) : दिनांक 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से संबंधित मामलों सहित कुल 784 मामले छत्तीसगढ़ में स्थापित एमएसईएफसी में न्यायनिर्णयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से, 432 आवेदन सूक्ष्म उद्यमों से संबंधित हैं।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की। यह एक डिजिटल, प्रौद्योगिकी-सक्षम तंत्र है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से जुड़े विलंबित भुगतान विवादों का त्वरित, लागत प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। ओडीआर ढांचे के तहत मुकदमा दायर करने से पहले, बातचीत-आधारित तंत्र की शुरुआत किए जाने से एमएसईएफसी द्वारा औपचारिक न्यायनिर्णयन के लिए मामला आगे बढ़ने से पहले क्रेता और विक्रेता के बीच स्वैच्छिक मध्यस्थता, सुलह या बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।
